राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-2(1)आरडी/आरई/नरेगा /06 जयपुर, दिनांक : -2 APR 2009

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त (राजस्थान)।

विषय :-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुदृढीकरण बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक सुदृढीकरण की दृष्टि से निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः-

1- पंचायत समिति स्तर पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के विकास अधिकारी या उपखण्ड अधिकारी को नरेगा के तहत ब्लॉक कॉर्डिनेटर नियुक्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। जहां पर विकास अधिकारी के पद पर आरएएस अधिकारी पदस्थापित है, तो उन्हें ब्लॉक कॉर्डिनेटर नियुक्त कर दिया जावें। शेष ब्लाक में एक ब्लाक पर एक ही उपखण्ड अधिकारी है तो उसे ब्लॉक कॉर्डिनेटर नरेगा नियुक्त कर दिया जावे। वर्तमान में संविदा पर नियोजित कार्यक्रम अधिकारी ब्लाक कॉर्डिनेटर के प्रशासनिक नियत्रंण में कार्य करेंगे। जिन पंचायत समितियों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के कार्यक्रम अधिकारी पदस्थापित है, वे पूर्ववत ब्लॉक कॉर्डिनेटर के रूप में भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

2- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत भुगतान के लिए चैक जारी होने पर हस्ताक्षर ब्लॉक कॉर्डिनेटर एवं संविदा पर नियोजित लेखा सहायक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किये जावेंगे।

3- ब्लॉक कॉर्डिनेटर उनके क्षेत्र में चल रहे समस्त नरेगा कार्यो की नियमित समीक्षा करेंगे एवं इस संबंध में प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण 7 दिवस में करना सुनिश्चित करेंगें। जहां पर शिकायत किसी जन प्रतिनिधि के खिलाफ हो तो इस संबंध में प्राथमिक जांच करते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक के माध्यम से इसे 7 दिवस में राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे।

4- ब्लॉक कॉर्डिनेटर सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में मजदूरी का समय समय पर तथा सही भुगतान हों तथा मस्टररोल पर कार्य करने वाले सही नाम अंकित हों तथा मौके पर स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण हो।

उपरोक्तानुसार पंचायत समितिवार ब्लॉक कार्डिनेटर नियुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(जी. एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5- निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त(राजस्थान)।
7- रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)